राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :–प. 22 (108) परि/प्रवर्तन/स.जा.अ./08 55253 जयपुर, दिनांक :– 20/8/14

समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
समस्त संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)।
समस्त अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन शाखा सहित)।
समस्त जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन शाखा सहित)।

विषय :– दिनांक 21.08.2014 से 30.08.2014 तक अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाने बाबत्।

विशेष चौकिंग

राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के क्रम में अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2014 से 30.08.2014 तक जांच अभियान चलाया जाना निश्चित किया गया है।

इस अभियान में मुख्यतः राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, दुर्घटनाओं में होने वाली जन धन की अपार क्षति को कम करने, आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने एवं बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारक, वाहनों के अनाधिकृत /नियम विरूद्ध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना है।

अभियान के दौरान यात्री वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए विशेषतः राजमार्गों, मुख्य मार्गों एवं रोड़वेज बस अड्डों के आस–पास से संचालित होने वाले वाहनों (बसों/जीपों आदि), के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावे।

यात्री वाहनों के नियम विरूद्ध संचालन में मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत् विभिन्न अपराध:–

1. **यात्री वाहनों में व्यवसायिक सामान का परिवहन** :– यात्री के स्वयं के सामान के अतिरिक्त व्यवसायिक सामान का परिवहन कर संचालित होने वाली यात्री वाहनों विशेषतः संविदा अनुज्ञा पत्र पर संचालित बसों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा, 86 के तहत् आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावें।

2. **परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के आस–पास से अवैध वाहन संचालन** :– परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के आस–पास से अवैध वाहनों के संचालन एवं अवैध पार्किंग को रोकने तथा बिना वैध अनुमति (लाइसेंस) बुकिंग का कार्य करने वाले अभिकर्त्ता (बुकिंग एजेन्ट) के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

3. **बिना अनुज्ञापत्रों के वाहन संचालन :–** जांच अभियान के दौरान उड़नदस्तों द्वारा बिना वैद्य अनुज्ञा पत्र के संचालित यात्री वाहनों (बसों सहित) एवं अवैध रूप से संचालित निजी यात्री वाहन (विशेष रुप से 7 से अधिक सीट के वाहन) के विरूद्ध न केवल चालान बनाये जावे बल्कि **इन्हें मौके पर प्रशमन करने के स्थान पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207 के तहत् जब्त किया जावे।** इसके साथ ही बिना वैद्य अनुज्ञा पत्र के संचालित बस/मिनी बसों एवं अवैध रूप से संचालित निजी यात्री वाहनों के खिलाफ पंजीयन अधिकारियों द्वारा **मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 के तहत पंजीयन प्रमाण–पत्र निलम्बन एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55 के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे।**

4. **वाहनों के शीशों में लगी काली फिल्म हटवाया जाना :–**

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 एवं 03.08.2012 के अनुसार राज्य में संचालित वाहनों में लगे हुए काले शीशों पर से फिल्म हटवाई जानी है। इस संबंध में आदेश क्रमांक प.22 (7) परि./प्रवर्तन/जयपुर/07–08/19804 दिनांक 05.03.2013 जारी किया जा चुका है।

5. **क्षमता से अधिक सवारी ले जाना :–**

अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि सार्वजनिक स्थानों, रोड़वेज बस स्टेण्ड के आस–पास तथा राजमार्गों पर जीप, ट्रक, बस आदि वाहनों का ओवरक्राउड संचालन नहीं हो। इस सम्बन्ध में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत कार्यवाही करते हुए **मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 (1) के तहत** जब्त किया जावे।

6. **फिटनेस प्रमाण–पत्र तथा प्रदूषण जांच :–**

अभियान के दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र तथा प्रदूषण जांच प्रमाण–पत्र की भी जांच की जावे। यदि कोई वाहन यांत्रिक रूप से संचालन के योग्य नहीं है तो उसका फिटनेस प्रमाण–पत्र भी निरस्त किया जावे।

7. **वाहन चालकों से सम्बन्धित अपराध :–**

a. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ढोती हुई पायी जाने वाले गैर परिवहन वाहनों/परिवहन वाहनों (जीपों, आदि) के वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस के सम्बन्ध में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाहन चालन के अयोग्य घोषित किया जाकर लाईसेंस कार्यालय में समर्पित कराया जावे।

b. व्यवसायिक वाहनों के चालकों के लाईसेंस का नवीनीकरण किये हुए हो। जांच अभियान के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी चालक नशे में न हो। यदि वाहन चालक नशा कर वाहन चलाता हुआ पाया जावे, ड्राईवर के लाइसेन्स नवीनीकरण नहीं हो या ड्राईवर वाहन चलाने योग्य नहीं पाया जावे तो

उन वाहन चालकों के मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत चालक लाइसेन्स निलम्बन की कार्यवाही की जावे।

8. प्रक्रिया

i. जांच अभियान 24 घंटे वाहनों की जांच किये जाने हेतु संचालित किया जाना है, अतः इसके अनुरूप टीमें गठित कर उड़नदस्तो को दायित्व सुपुर्द किया जावे एवं उड़नदस्तों को जारी आदेश की प्रति तत्काल ई–मेल/फैक्स (01412740062) द्वारा मुख्यालय को प्रेषित करें।

ii. अभियान के दौरान प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी स्वयं भी मौके पर जाकर कार्यवाही करावें। इसी प्रकार प्रवर्तन शाखा के संयुक्तायुक्त/उपायुक्त / अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी भी स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही करवाएगें।

iii. उपयुक्त स्थानों पर चैकिंग पोईन्ट निर्धारित किये जा सकते हैं।

iv. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं उपायुक्त (प्रवर्तन) अभियान की प्रगति की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट "ए") में प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे तक मुख्यालय को ई–मेल ***transport.enforce@rajasthan.gov.in*** द्वारा आवश्यक रूप से प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।

v. उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

VI. अभियान के दौरान कार्य में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

नोटः– अभियान में चैकिंग के दौरान राजकीय वाहन चालकों एंव गार्डस के मोबाईल फोन बंद रहेगें। उनके मोबाईल फोन प्रभारी उडनदस्ता (जि.प. अधिकारी /निरीक्षक) के पास जमा रहेंगे।

संलग्न :– परिशिष्ट 'ए'।

(मुकुल शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)

क्रमांक :–प. 22 (108) परि/प्रवर्तन/स.जा.अ./08 55254 जयपुर, दिनांक :– 20/8/14

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन)

Anexture-A

PASSENGER VEHICLE CHECKING REPORT

Office Name - .... **Date -**

Type of vehicles		Total Vehicle Challaned	Without Registration	Without Fitness	Without Permit	Violation of Permit Condition			Without Tax	Over Crowding (Pass. Veh.)	Without PUCC	Black Film on glasses	Without DL	Other Offence	Seize	Suspension Recom.				Received Amt. (In Lacs)		
						Comercial Luggage on CC	Extra trip in Stage Carriage	Others								DL	RC	Permit	Fitness	Tax	CF	Total
CONTRACT CARRIAGE	Bus																					
	Mini Bus																					
	Taxi/Maxi																					
STAGE CARRIAGE	Bus																					
	Mini Bus																					
	Other																					
SCHOOL BUS	Bus																					
	Mini Bus																					
	Other																					
Car/Jeep																						
Hire and Reward																						
Construction Equipments																						
Auto Rickshaw																						
Other																						
Total																						

RTO/DC (Enf.)

....